न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 106/2015

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र बजरंग जाति धाकड़ निवासी जतीपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री श्रवण पुत्र ज्वारा जाति धाकड़ निवासी जतीपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।
3. हल्का पटवारी पटवार हल्का स्यार तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

4. श्रीमती सुन्दर बेवा बजरंग।
5. श्री रामस्वरूप पुत्र बजरंग।
6. श्री सूरजकरण पुत्र बजरंग।
7. श्री रामजीवण पुत्र बजरंग।
8. श्री सांवरलाल पुत्र बजरंग।
9. श्री रामनारायण पुत्र रामदयाल।
10. श्री किसना पुत्र रामदयाल।

समस्त जातिगण धाकड़ निवासीगण जतीपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री निहाल चंद जैन, प्रार्थी।

निर्णय दिनांकः— 02.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादवर्णित आराजी मौजा ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

विवरण आराजीयात

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
626—552	636	17—18—02.	बा.3
	654	23—04—00	बा.2
	715	04—10—02	बा.1

यह कि वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। यह कि वाद वर्णित संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत् रूप से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वाद वर्णित आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 13.10.2015 को प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात पर आया एवं ऐलानिया धमकी दी की में इस आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति को बैचान करूंगा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हो। बिना विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

किये ही आराजीयात को बेचान करने की धमकी देकर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारा हेतु पेश करना लाजमी है। यह कि वाद वर्णित आराजीयात को लेकर अप्रार्थीगण की नियत बद है। अप्रार्थीगण व नाजायज व अनाधिकृत तरीके से नियम एवं कानूनों के विरूद्ध जाकर प्रार्थीयां को उनके हिस्से की आराजीयात से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। यह कि अप्रार्थीगण अपने नाजायज उद्देश्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीयां को अजहद क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना कतई संभव नहीं है। यह की प्रार्थीयां का प्राईमा फैसाई केस है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयां के पक्ष में है।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम स्यार संवत् 2056–2058

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 एवं 4 ता 9 वादगत भूमि में अभिलिखित खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा नवीनतम जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तत जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादगत भूमि में सह खातेदार के रूप में दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी व अप्रार्थी के पक्ष में समान प्रतीत होता है।

चूंकि वादगत भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 एवं 4 ता 9 सह खातेदार है और सहखातेदार की भूमि पर प्रत्येक इंच पर अपने स्वत्व तक प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माने जाने की विधिक अवधारणा है। अतः सुविधा का संतुलन भी पूर्णतया तथा अपूर्तनीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रबल नहीं है।

प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन हेतु वाद लंबित है। प्रार्थी के हक व अधिकार गुणवगुण व साक्ष्य के आधार पर मूल वाद में तय किए जांएगें एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

(वासमती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner